नव भारत
राष्ट्रहित सर्वोपरि 1934 से

एक नजर में

ईरान-इजराइल दोनों भारत को मित्र मानते

जबलपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति से आज भारत की स्थिति ऐसी है कि ईरान और इजराइल दोनों ही भारत को अपना मित्र मानते हैं. असल झगड़ा ईरान और इजराइल के बीच है, लेकिन अमेरिका बिल्ली की भूमिका निभा रहा है. यह बयान जबलपुर पहुंचे प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास व संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली तराजू लेकर बैठती है और दोनों तरफ से रोटी खाती जाती है.

पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी पर सांड का हमला, हुई मौत

ग्वालियर. शहर में आवारा सांड के हमले में एक और बुजुर्ग की जान चली गई. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी मोहन सिंह कुशवाह पर एक आवारा सांड ने हमला कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. घटना डीडी नगर क्षेत्र में कुशवाह के घर के पास हुई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सांड ने मोहन सिंह कुशवाह को जोरदार टक्कर मारी और फिर सिर के बल पटक दिया.

सिलाई सेंटर पर बैठी महिला को मारी गोली

भिंड. भीमनगर इलाके में आज गुरुवार दोपहर सिलाई सेंटर पर बैठी 45 वर्षीय नीलम जाटव को एक बाइक सवार बदमाश ने पुरानी रंजिश के चलते पेट में गोली मार दी. वारदात के बाद आरोपी मजनू ओझा मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया है. इससे पहले बीती देर रात अटेर क्षेत्र में भी अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने महिला के बयान दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

प्रेमिका की मौत पर युवक को उकसाने के मामले केस दर्ज

ग्वालियर. महाराजपुरा के डांग गुठीना गांव में प्रेमिका की मौत से आहत युवक हरेंद्र जाटव की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. आरोपितों में प्रेमिका काजल माहौर की मां, चाचा, ताऊ, फूफा और मंगेतर के नाम शामिल हैं. हरेंद्र ने आत्महत्या से पहले मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने काजल के स्वजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. 13 दिसंबर को हरेंद्र जाटव का शव पड़ोसी के खेत में लगे नीम के पेड़ पर लटका मिला था.

पुलिस पर फायरिंग : 5 आरोपी गिरफ्तार

ग्वालियर, 9 अप्रैल. शराब दुकान के मैनेजर पर ढाई घंटे में दो बार हमला करने और उसके रिश्तेदार को गोली मारने वाले बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस की पनिहार के मिर्चा गांव में आरोपियों से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी. बदमाशों ने खेतों में पुलिस को घेरकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पांच आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए झांसी रोड के शीतला माता मंदिर रोड से फरार पांचों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया. इसके साथ ही मामले के सभी सात आरोपी पकड़े जा चुके हैं.

टीआई शक्ति सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि हत्या के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी शीतला माता मंदिर रोड पर दो कारों में देखे गए हैं और जिले से भागने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही एसआई आकाश वर्मा, एसआई राजवीर सिंह यादव, आरक्षक श्याम, रामवीर और अंगद को मौके पर रवाना किया गया. पुलिस टीम ने शीतला माता मंदिर रोड पर घेराबंदी की. इसी दौरान एक स्कॉर्पियो और क्रेटा कार आती दिखाई दी. पुलिस को देखते ही कार सवारों ने वाहन की गति बढ़ाकर भागने का प्रयास किया, लेकिन घेराबंदी कर दोनों कारों को रोक लिया गया.

ये आरोपी पकड़े गए

पुलिस ने घेराबंदी कर अमरेश गुर्जर, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, बंटी गुर्जर, सतेंद्र गुर्जर और गजेंद्र सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया. इनके दो साथी शैलेन्द्र गुर्जर और गिर्राज गुर्जर को एक दिन पहले ही पकड़ा जा चुका था. आरोपियों के कब्जे से एक क्रेटा और स्कॉर्पियो कार के अलावा अधिया, .315 बोर की राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं.

चंबल के बीहड़ में पत्नी के सामने युवक की गोली मार कर हत्या

भिंड, 9 अप्रैल. अटेर थाना क्षेत्र के चंबल के बीहड़ में बुधवार देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक के सिर में गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है.

मृतक की पहचान नितेश जाटव पुत्र पातीराम जाटव निवासी खिरिका के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी रूबी के साथ भिंड से खरीदारी कर गांव लौट रहा था. रमता गांव के पास बीहड़ क्षेत्र में पहुंचने पर बाइक पर रखा सामान गिर गया. नितेश ने बाइक रोकी और पत्नी के साथ सामान उठाने लगा, तभी पीछे से आए बदमाशों ने नजदीक से उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पूरी वारदात पत्नी के सामने हुई, जिससे वह सदमे में है. सूचना मिलते ही अटेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची कर जांच शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है. जांच में मामला सुनियोजित हत्या का प्रतीत हो रहा है. सुनसान बीहड़ में वारदात को अंजाम देने से आरोपियों की पूर्व योजना की आशंका जताई जा रही है.

सात सीनियर आईपीएस को संभागीय प्रभारी की जिम्मेदारी

- वरूण कपूर को भोपाल संभाग की कमान

उपेन्द्र कुमार जैन | अनंत कुमार सिंह

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 9 अप्रैल. राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के सात सीनियर अफसरों को सात संभाग के प्रभारी की जिम्मेदारी दी है. गृह विभाग के ताजा आदेश में पूर्व में दी गई अफसरों के दायित्व में बदलाव किया गया है. इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. वरूण कपूर महानिदेशक जेल को भोपाल संभाग का प्रभारी बनाया गया है.

वहीं उपेन्द्र कुमार जैन महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल को उज्जैन, जी.अखेतो सेमा विशेष पुलिस महानिदेशक जेल को चंबल, पंकज कुमार श्रीवास्तव विशेष पुलिस महानिदेशक सीआईडी को जबलपुर, रवि कुमार गुप्ता विशेष पुलिस महानिदेशक रेल को नर्मदापुरम, अनंत कुमार सिंह प्रबंध संचालक मप्र पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन भोपाल को सागर और राजाबाबू सिंह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण को शहडोल संभाग का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है.

पूर्व में जारी आदेश के मुताबिक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव पहले की तरह ग्वालियर संभाग और अनिल कुमार रीवा संभाग के प्रभारी का दायित्व निभाते रहेंगे, इसी तरह आदर्श कटियार का भी इंदौर संभाग के प्रभारी का दायित्व पहले की तरह बरकरार रखा गया है.

यहां बता दें कि प्रदेश में डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों को संभाग का प्रभारी बनाया गया था, जिससे कि संभाग में राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की लगातार मॉनीटरिंग होती रहे, वहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर एसीएस स्तर के अधिकारी की सीधी नजर रहे. इसी तरह कानून-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर संभागों में सीधी निगरानी के लिए सीनियर पुलिस अफसरों को भी संभाग प्रभारी बनाने की व्यवस्था शुरू की गई थी. ये व्यवस्था दिसंबर 2023 से लागू की गई थी, तब से ये व्यवस्था लगातार जारी है. इसे प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नवाचार के रूप में देखा जा रहा है.

लापरवाही पर छह पंचायत सचिव निलंबित

मुरैना. जिले में शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने छह पंचायत सचिवों को निलंबित तथा पांच ग्राम रोजगार सहायकों को कार्य से विरत कर दिया है.

सीईओ अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि ग्राम पंचायत बरेंड के सचिव हाकिम सिंह को आमजन से अभद्र व्यवहार, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर अवैध राशि मांगने के आरोप में निलंबित किया गया है. वहीं ग्राम रोजगार सहायक सौरभ सिंह सिकरवार को आवास योजना में ठगी के आरोप में कार्य से विरत किया गया है. ग्राम पंचायत नहरावली के सचिव राजेश शर्मा को पात्र हितग्राहियों को योजना से वंचित करने के आरोप में निलंबित किया गया.

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने उमा भारती से की मुलाकात

टीकमगढ़, 9 अप्रैल. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का टीकमगढ़ दौरा गुरुवार को संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा. जिले में उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जगह-जगह भव्य स्वागत किया. शहर के विभिन्न प्रमुख चौराहों और पार्टी कार्यालयों पर फूलमालाओं, आतिशबाजी और नारेबाजी के साथ उनका अभिनंदन किया गया.

प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल का काफिला जैसे ही टीकमगढ़ पहुंचा, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने लायक था. युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अन्य संगठन इकाइयों के कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण से ही संभव है. दौरे के दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से उनके निवास पर मुलाकात की. करीब 15 मिनट चली इस मुलाकात में संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा हुई.

स्वागत के बहाने, घर वापसी की तैयारी

टीकमगढ़. मध्य प्रदेश की राजनीति में टीकमगढ़ आज अचानक सुर्खियों में आ गया, जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौरे ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। स्वागत तो पूरे जिले में हुआ, लेकिन असली खबर बनी स्टेट बैंक चौराहा पर जहां पूर्व विधायक केके श्रीवास्तव का अंदाज और प्रदेश अध्यक्ष का ठहराव, दोनों ही चर्चा का विषय बन गए.

सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि पूर्व विधायक केके श्रीवास्तव फिलहाल भाजपा में नहीं हैं, तो फिर प्रदेश अध्यक्ष का उनके पास रुकना क्या सिर्फ शिष्टाचार था या फिर सियासत की कोई नई पटकथा लिखी जा रही है.

हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम घोषित करने से किया इंकार

नर्सिंग फर्जीवाड़ा मामला : एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश

जबलपुर, 9 अप्रैल. नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा संबंधित याचिका करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनस सराफ की युगलपीठ ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने अनुमति देने से इंकार कर दिया.

याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी अनसूटेबल कॉलेज के छात्रों को सूटेबल कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया गया है. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद एमपी नर्सिंग काउंसिल को विस्तृत जानकारी

हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश जारी किये है.

गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में संचालित अधिकांश नर्सिंग कॉलेज मानदंडों की पूर्ति किये बिना सिर्फ कागजों में संचालित हो रहे है. अधिकांश नर्सिंग कॉलेज के भवन तक नहीं है. एक कमरों में संचालित कॉलेज में लैब, लाइब्रेरी से संचालित हो रहे हैं. निर्धारित मापदंड की पूर्ति नहीं करने वाले कॉलेज को मान्यता प्रदान की गयी है. हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी. सीबीआई ने सूटेबल,अनसूटेबल तथा आंशिक कमी वाले कॉलेज की सूची हाईकोर्ट में पेश की थी.

याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान एमपी नर्सिंग काउंसिल की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जेएनएम प्रथम वर्ष के लगभग 30 हजार छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने अनुमति प्रदान करने हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया था.

उमा भारती के खिलाफ मानहानि मामले में स्टेट्स रिपोर्ट तलब

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दो दशक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के खिलाफ दायर मानहानि के मामले की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने हाईकोर्ट कि रजिस्ट्री को निर्देश दिए हैं कि निचली अदालत से बुलवाकर प्रकरण की अपडेट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी.

अंजड़ नगर परिषद में 10 करोड़ का घोटाला

पूर्व अध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर समेत कई पर एफआईआर दर्ज

इंदौर, 9 अप्रैल. अंजड़ नगर परिषद में पेयजल योजना के तहत 10 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का मामला सामने आया है. इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने पूर्व अध्यक्षों, सीएमओ, इंजीनियर और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.

जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 में नगर परिषद क्षेत्र में घर-घर जल पहुंचाने के लिए करीब 12.20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी. इस योजना के तहत लगभग 2700 घरों में जल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था. ई-टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से

यह कार्य एक निजी कंपनी को सौंपा गया था, जिसे 18 महीने में काम पूरा करना था. साथ ही तय समय सीमा में कार्य पूरा न होने पर बिल राशि में 10 प्रतिशत कटौती का प्रावधान भी रखा गया था.

जांच में सामने आया कि कंपनी द्वारा कार्य आज तक अधूरा है, बावजूद इसके संबंधित अधिकारियों ने पूरा भुगतान कर दिया. इतना ही नहीं, कार्य से जुड़ी माप पुस्तिका (एमबी) और कैशबुक में भी आवश्यक विवरण और हस्ताक्षर नहीं पाए गए, जिससे पूरे मामले में गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है. इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष मंजूला राकेश पाटीदार, पुष्पा परमार, सीएमओ सुरेंद्र सिंह परमार, अमरदास सैनानी, मायाराम सोलंकी, इंजीनियर दिनेश पटेल, लेखापाल हुकुमचंद मालवीय सहित टेंडर लेने वाली कंपनी के प्रोपराइटर परेश सरोठिया और ठेकेदार मनीष मकवाना के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. ईओडब्ल्यू का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

उप मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन कार्यक्रम में सुनीं समस्याएं

भोपाल 09 अप्रैल. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने अपने अमहिया रीवा स्थित निज निवास में जनता दर्शन कार्यक्रम में आमजनों की समस्याएं सुनीं. उप मुख्यमंत्री ने आमजनों को उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए आश्वस्त किया. उन्होंने आमजनों की समस्याओं से संबंधित आवेदन पत्रों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया.

दिग्विजय और जीतू वो देश भक्तों के साथ है या देश द्रोहियों के : महापौर

इंदौर. किसी भी पंथ या धार्मिक मान्यता से बड़ा देश होता है. देश के लिए मन, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाले गीत-संगीत या उनके स्मारकों का सम्मान करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है.

राष्ट्रगीत गाना या न गाना किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन उसका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है. महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह बात वंदे मातरम गीत को ना गाने और उसका अपमान करने के बाद उपजे विवाद के बाद कहीं उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस के नेता चिंटू चौकसे और वरिष्ठ नेता के.के. मिश्रा ने इस विषय पर बयान दिया

है, तो कांग्रेस पार्टी को इस पर उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए. मेरा मानना है कि कांग्रेस कार्यालय में भी वंदे मातरम् गाया जाता होगा तो क्या वहां ये लोग नहीं गाते? इस पर भी विचार होना चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का इस मुद्दे पर क्या रुख है. साथ ही, चिंटू चौकसे और केके मिश्रा द्वारा कही गई बातों पर दिग्विजय सिंह क्या सोचते हैं, यह भी स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए.

बयान | पूर्व मंत्री की पार्षद को नसीहत

वंदे मातरम मुद्दे ने तूल पकड़ा , भाजपा - कांग्रेस एक मत

नव भारत न्यूज

इंदौर, 9 अप्रैल. नगर निगम बजट में एक मुस्लिम महिला पार्षद द्वारा यह कहना कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को इस्लाम गाने के इजाजत नहीं देता है , उक्त बयान ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. यह बात अलग है कि कांग्रेस ने उक्त मुद्दे पर कल ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि कांग्रेस का इससे सरोकार नहीं है. भाजपा ने आज उक्त मामले को मुद्दा बनाकर बयान दिए.

निगम बजट सत्र में पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने को इस्लाम के खिलाफ बताने का बयान दिया था. इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है. आज महापौर ने वीडियो जारी कर कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा. नेता प्रतिपक्ष और शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कल ही बयान दे दिया था और आज फिर मीडिया को कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस की रग रग में बसता है. देश की आजादी का अलख हमारे वीर क्रांतिकारियों ने राष्ट्रगीत गाकर ही जगाया और आजादी दिलाई है.

शहर कांग्रेस ने खान को हटाने का प्रस्ताव भेजा

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने पार्षद रुबीना खान को पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है. चौकसे ने कहा कि रुबीना खान आज से कांग्रेस पार्टी में नहीं है. उन्होंने जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ अनर्गल बातें की है, ऐसे लोगों का कांग्रेस में स्थान नहीं है और पार्टी को ऐसे लोगों की आवश्यकता भी नहीं है. रुबीना खान को प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को निष्कासित करने का प्रस्ताव भेजा है. उल्लेखनीय की रुबीना खान ने कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बयान बाजी की थी .

वंदे मातरम मुद्दे पर किसने क्या कहा

- पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि वंदे मातरम देश की माटी में घुला हुआ है. इसमें कोई अश्लील शब्द थोड़ी है, जो गाने से मना किया गया. फौजिया को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए.
- महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सवाल किया है कि कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रगीत गाया जाता होगा. चौकसे के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह भी राष्ट्रगीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे कि वो देश भक्तों के साथ है या देशद्रोहियों के साथ.
- नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान भारत के सम्मान का प्रतीक है. राष्ट्रभक्ति और देश पहले है और समाज एवं पार्टी बाद में है. हमारे पूर्वजों और देश भक्तों ने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाकर आजादी के लिए अंग्रेजों को भगाया है. दोनों भारत के सम्मान एवं आन बान और शान के प्रतीक है.
- पार्षद फौजिया शेख ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19और 25 में उल्लेख है कि वंदे मातरम को प्रेशर देकर गाने पर मजबूर नहीं कर सकते है. मैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान की जानकारी के साथ संभागायुक्त के पास जाऊंगी. मैं वंदे मातरम का आदर करती हूं और इसको लेकर भाजपा ने शहर की जनता को गुमराह किया है. मैं 4 बार से पार्षद हूं. हिंदुस्तान जिंदाबाद.

धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कोर्ट से मिली जीत

- भड़काऊ बयान और देशद्रोह मामले में क्लीन चिट
- अधिवक्ता समीर अग्रवाल और शिवम चतुर्वेदी ने पैरवी की

शहडोल, 9 अप्रैल. बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शहडोल की अदालत से बड़ी राहत मिली है. उनके खिलाफ दायर निगरानी याचिका को न्यायालय ने निरस्त कर दिया है. इस मामले में उनकी ओर से अधिवक्ता समीर अग्रवाल और शिवम चतुर्वेदी ने पैरवी की.

प्रथम अपर सत्र न्यायालय शहडोल के पीठासीन न्यायाधीश कमलेश कुमार कोल ने यह

फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रस्तुत निगरानी निराधार है. दरअसल, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ प्रयागराज महाकुंभ के दौरान दिए गए कथित बयान को लेकर आपराधिक परिवाद दायर किया गया था. इसमें उनके बयान को असंवैधानिक, आपत्तिजनक और भड़काऊ बताते हुए देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे.

इससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी परिवाद को खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ परिवादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित वीडियो क्लिप को देखा और पाया कि शास्त्री ने किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है और न ही किसी की भावनाएं भड़काने का प्रयास किया है. इसी आधार पर अदालत ने निगरानी को निराधार मानते हुए निरस्त कर दिया. इस फैसले के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बड़ी कानूनी राहत मिली है.